



राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद् RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)


Visit us at:-rmcjaipur.org दूरभाष / Phone No.:-0141-2225102, 2221734ई-मेल / E-mail:-
rajmedcouncil@yahoo.in

क्रमांक:- आर.एम.सी./2022/8643

दिनांक 21/12/2022
आवश्यक मेल

- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/निजी मेडिकल कालेज,
राजस्थान।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा सीआरएमआई रेग्यूलेशन, 2021 एवं एफएमजीएल रेग्यूलेशन, 2021 की अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र में दिनांक 18.11.2021 को किया जा चुका है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में विदेशी मेडिकल ग्रेज्यूएट को इन्टर्नशीप हेतु सीटों का आवंटन कौंसिल द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि आपके अधीन मेडिकल कॉलेज में एनएमसी द्वारा आवंटित सीटों की संख्या तथा वर्तमान में इन्टर्नशीप कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेज्यूएट्स की सूची व रिक्त सीटों की संख्या अविलम्ब मेल द्वारा कौंसिल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के बाद अब किसी भी विदेशी मेडिकल ग्रेज्यूएट को बिना कौंसिल द्वारा सीट आवंटन के इन्टर्नशीप में प्रवेश नहीं दिया जावे, अगर किसी भी विदेशी स्नातक (Foreign Graduate) को इन्टर्नशीप करवाई जाती है, तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों का राजस्थान मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जावेगा।


(डॉ. मनीष शर्मा)

रजिस्ट्रार,
राजस्थान मेडिकल कौंसिल,
जयपुर।